

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या - 342

(जिसका उत्तर गुरुवार, 21 मार्च, 2013/30 फाल्गुन, 1934 (शक) को दिया गया)

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर लगाया गया जुर्माना

*342. प्रो. सौगत राय :

श्री उदय सिंह :

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर अनुचित और प्रतिस्पर्धारोधी व्यवहार में संलिप्त होने के लिए कोई जुर्माना लगाया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितना जुर्माना लगाया गया है और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा कितने जुर्माने का भुगतान किया गया है;
- (ग) ऐसे अन्य संगठनों के नाम क्या हैं, जिनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;
- (घ) क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में पंजीकृत किया गया है और यदि हां, तो उच्च राजस्व अर्जन वाले कार्यक्रम आयोजित करने हेतु ऐसे गैर-लाभकारी संगठनों के किन्हीं अधिकारों का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या सरकार का विचार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जैसे खेल निकायों सहित गैर-कारपोरेट व्यावसायिक कंपनियों की विनियमित करने हेतु कोई विधान अधिनियमित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री सचिन पायलट)

(क) से (ड.) : एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है।

दिनांक 21.03.2013 को लोक सभा में उत्तर देने हेतु तारांकित प्रश्न संख्या 342 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख): भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा “प्रभुत्वपूर्ण स्थिति के दुरुपयोग” से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर इस मामले में जांच और उसके पश्चात् सुनवाई के आदेश दिए। बीसीसीआई को प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 4(2)(ग) के उल्लंघन का दोषी पाया गया और दिनांक 8.2.2013 को 52.24 करोड़ रुपए का अर्थदंड लगाया गया। यह राशि आदेश प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के भीतर देय है।

(ग): आयोग को हॉकी इंडिया तथा अखिल भारतीय शतरंज फेडरेशन के विरुद्ध भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जहां प्रथम मामला जांचाधीन है, दूसरे मामले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है।

(घ): बीसीसीआई तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1975 के तहत पंजीकृत है। उक्त अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी द्वारा आय/राजस्व अर्जित करने पर प्रतिबंध नहीं है।

(ड.): अनिगमित निकायों द्वारा व्यापार/व्यवसाय भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची-II, प्रविष्टि 32 के अनुसार राज्य का विषय है। तथापि, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर के खेल निकायों के शासन में बेहतर जवाबदेयता और पारदर्शिता का प्रावधान करने हेतु एक विधान लाने पर विचार कर रहा है।
